वास्ते आदेश दि. 30.8.19 को पेश हो।

30.8.19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वादी के वादपत्र के तथ्य, वांछित रीलीफ, प्रस्तुत साक्ष्यादि पर सम्यक अनुशीलन मनन किया गया।

नामा0 नं. 431 दि0 12.5.14 प्रदर्श- 6 से स्पष्ट है, कि उक्त नामान्तकरण सन् 2003 की रजिस्टर्ड सेल डीड द्वारा बख्तावर पुत्र भोला रेबारी बहक अंकुश जैन के आधार पर सेटलमेंट के उपरान्त तथा बख्ता की मृत्यु उपरान्त वादगत भूमि बख्ता के वारिसान के नाम दर्ज हो जाने के उपरान्त साबिक बेचान नम्बरों के हाल नम्बर पर दायर किया गया है। बख्ता द्वारा साबिक रकबे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में

१५३ (नब १५) में से अपना १/३ हिस्सा अंकुरा जैन को बेचान किया गया था। नामा० नं. ४३१ दायर करते समय हाल खसरा नं. ३२४ के साथ ख० नं. ३१२ का १/३ हिस्सा भी अंकुरा जैन के नाम दर्ज कर दिया। (प्रदर्श-१० व ११)

हाल ख० नं. ३१२ साबिक ख० नं० १५३ से पैमूद नहीं होकर १५४ से पैमूद किया गया है।

इस प्रकार नामा० नं. ४३१ दायर करते समय मुख्यतः दो त्रुटियाँ कारित की गई हैं।

(1) विक्रेता की मृत्यु हो जाने के बाद विक्रेता के वारिसान के नाम भूमि दर्ज हो जाने व तदुपरान्त भू-प्रबंध हो जाने के उपरान्त क्रेता के नाम बिना किसी सक्षम आदेश के नामा० दर्ज किया गया था।

(2) उक्त नामा० में जो भू-भाग बेचान नहीं हुआ, उसका भी एक तिहाई हिस्सा किसी अन्य के नाम पर दर्ज कर दिया गया है।

इस प्रकार हाल आराजी ख० नं. 312 पर त्रुटिपूर्वक क्रेता (जिसने वास्तुतः ख०नं० १५४) क्रय किया था) का नाम दर्ज हो जाने से भूमि उत्तरोत्तर त्रुटियों के सतत क्रम में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम पर दर्ज कर दी गई।

इस प्रकार खसरा नम्बर हाल ३१२ के क्रम में दायर नामान्तरकरण नं. ४३१

30/08/14

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रभावशून्य है। प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श-1 व प्रदर्श-11 पर सम्यक विचार किया। प्रकरण के गुण और अवगुण पर सम्यक मनन किया गया। वाद वादी अंशतः स्वीकार योग्य है। अतः वादी का वाद अंशतः स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम नूरपुरा की भूमि हाल खसरा नम्बर 312 पर से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम हिस्सा 1/3 पर से हटाया जाकर उक्त के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे। रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30/8/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। 30/08/19 (चिमनलाल मीणा) उपखण्ड अधिकारी (चिमनलाल)	

Scanned by CamScanner